न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 460 / 2025

दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. अमरचन्द पिता लेहरू जाति काछी आयु वयस्क निवासी काछियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।

— वादी

बनाम

1. रामचन्द्र पिता चमना जाति काछी आयु वयस्क निवासी काछियाखेड़ी मृतक के बजाय–
1/1– किशनीबाई पत्नी रामचन्द्र जाति काछी आयु वयस्क निवासी काछियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
1/2– रतनलाल पिता रामचन्द्र जाति काछी आयु वयस्क निवासी काछियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
1/3– बंशीलाल पिता रामचन्द्र जाति काछी आयु वयस्क निवासी काछियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।

— प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांक: 17.12.2025

–:निर्णय:–

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि मौजा काछियाखेडी तहसील कपासन पटवार हल्का बालारडा में कृषि भूमि साबिक पैमायश की आराजी नम्बर 352 रकबा 12 बिस्वा स्थित थी जो चाह नं0 344 रकबा 3 बिस्वा से सिंचित होती थी, उक्त आराजी नम्बर 352 का पुरा रकबा तथा चाह नम्बर 344 का 1/8 हिस्सा चमना पिता नगजी काछी निवासी काछियाखेडी के खातेदारी में दर्ज था प्रमाण में जमाबन्दी संवत् 2032 से 2035 तक की प्रस्तुत हैं।

यह कि उक्त आराजी नम्बर 352 का 1/2 हिस्सा मय चाह नम्बर 344 के चमना काछी के 1/8 हिस्से के आधे यानि 1/16 हिस्से सहित वादी ने चमना काछी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.08.1994 को 10000/– रूपये में क्रय कर के कब्जा प्राप्त किया और तब से उक्त आराजी पर वादी काविज होकर काश्त कर रहा हैं तथा चाह नम्बर 344 से सिंचित करता आ रहा है।

यह कि हाल पैमायश में उक्त आराजी नम्बर 352 के नये नम्बर 764 रकबा 0.08 हैक्ट0 तथा 765 रकबा 0.06 हैक्ट0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.14 हैक्ट0 बने हैं तथा आराजी चाह नं0 344 के नये नम्बर 743 रकबा 0.03 हैक्ट0 बने हैं।

यह कि राजस्व रेकार्ड में उक्त क्रयशुदा आराजी चाह वादी के खातेदारी में दर्ज नही हुई हैं व चमना काछी व उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र प्रतिवादी रामचन्द्र के नाम पर दर्ज हैं जो गलत है अतः इस आशय की घोषणा किया जाना आवश्यक हैं कि आराजी नम्बर 764–765 का 1/2 हिस्सा तथा चाह नम्बर 743 का 1/16 हिस्सा का वादी खातेदार काश्तकार होकर काबिज हैं और वर्तमान राजस्व रेकार्ड में उक्त आशय का इन्द्राज किया जाना आवश्यक हैं।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

यह कि हाल ही में वादी को उक्त गलत ईन्द्राज की जानकारी हुई अतः इन्द्राज दुरूस्ती हेतु यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं, बिनाय दाया दिनांक 01.08.2020 से शुरू हुई है।

अतः वादी की प्रार्थना है कि'–

– वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की घोषणा किये जाने की डिक्री प्रदान की जावें कि ग्राम काछियाखेडी तहसील कपासन की आराजी नम्बर 764–765 कुल किता 02 कुल रकबा 0.14 हैक्ट0 का 1/2 हिस्सा तथा चाह नम्बर 743 के 1/16 हिस्से का वादी खातेदार काश्तकार होकर काबिज हैं तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में इसी अनुसार दुरूस्ती की जावें तथा शेष रेकार्ड यथावत रखा जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से ठाकुर प्रसाद व्यास का अधिकार पत्र प्रस्तुत। उभयपक्ष ने पूर्व में दिनांक 15.05.2025 को राजीनामा बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। की गई बहस पर मनन किया। राजीनामे के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा काछियाखेडी तहसील कपासन की आराजी नम्बर 764–765 कुल किता 02 कुल रकबा 0.14 हैक्ट0 का 1/2 हिस्सा तथा आराजी नम्बर 743 में दर्ज रामचन्द्र पुत्र चमना हिस्सा 1/8 जाति काछी में से 1/16 हिस्से का अमरचन्द पिता लेहरू जाति काछी निवासी काछियाखेडी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष बदस्तुर रहे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) कपासन